

## लोकसभा अध्यक्ष की भूमिका

### प्रलिस के लयि:

18वीं लोकसभा, गठबंधन सरकार, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, साधारण बहुमत, स्थगन, अवशिवास और नदि परसत्ताव, कार्य मंतरणा समति, सामान्य परयोजन समति और नयिम समति, अधिकार और वशिषाधिकार

### मेन्स के लयि:

भारत में लोकसभा अध्यक्ष के बारे में मुख्य तथ्य, गठबंधन सरकार में अध्यक्ष की भूमिका

[स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस](#)

## चर्चा में क्यों?

एक [गठबंधन सरकार](#) में लोकसभा अध्यक्ष की न केवल सदन के कुशल संचालन के लिये बल्कि विपक्ष और सत्तारूढ़ दल तथा उसके सहयोगियों के बीच शक्ति संतुलन बनाए रखने के लिये भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जैसा कि [18वीं लोकसभा](#) का आगामी सत्र प्रदर्शति करेगा।

## भारत में लोकसभा अध्यक्ष के बारे में मुख्य तथ्य क्या हैं?

### परचिय:

- लोकसभा अध्यक्ष सदन का **संवैधानिक और औपचारिक प्रमुख** होता है।
- संसद के प्रत्येक सदन का **अपना पीठासीन अधिकारी** होता है।
- लोकसभा के लिये एक **अध्यक्ष और उपाध्यक्ष** तथा राज्यसभा के लिये एक **सभापति एवं उपसभापति** होते हैं।
- संसदीय गतिविधियों, कार्यप्रणाली और प्रक्रिया के संबंध में **अध्यक्ष को लोकसभा के महासचिव तथा सचिवालय के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सहायता** प्रदान की जाती है।
- लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष** कार्यों का निर्वहन करता है।
  - लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों की अनुपस्थिति में **सभापति पैनल** का कोई सदस्य सदन की अध्यक्षता करता है। हालाँकि, लोकसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद रक्ति होने पर सभापति पैनल का कोई सदस्य सदन की अध्यक्षता नहीं कर सकता।

### नरिवाचन:

- सदन अपने पीठासीन अधिकारी का **चुनाव** उपस्थिति सदस्यों के **साधारण बहुमत** से करता है, जो सदन में मतदान करते हैं।
- आमतौर पर, **सत्तारूढ़ दल के सदस्य को लोकसभा अध्यक्ष के रूप में चुना** जाता है, जबकि उपाध्यक्ष विपक्षी दल से चुना जाता है।
  - ऐसे भी उदाहरण हैं जब **सत्तारूढ़ दल से बाहर के सदस्यों को** लोकसभा अध्यक्ष पद के लिये चुना गया।
  - गैर-सत्तारूढ़ दल से संबंधित GMC बालयोगी और मनोहर जोशी** 12वीं और 13वीं लोकसभा में अध्यक्ष के रूप में कार्यरत थे।
  - जब **लोकसभा** भंग हो जाती है तो अध्यक्ष, नया अध्यक्ष के चुने जाने के पूर्व तक **नई लोकसभा की पहली बैठक तक अपने पद पर बना रहता है।**

### नषिकासन:

- संवैधान ने नचिले सदन को आवश्यकता पड़ने पर लोकसभा अध्यक्ष को हटाने का अधिकार दिया है।
  - भारतीय संविधान के **अनुच्छेद 94** के अनुसार सदन **प्रभावी बहुमत** (उपस्थिति और मतदान करने वाले सदन की **प्रभावी शक्ति** (कुल शक्ति-रक्तियों) के 50% से अधिक) द्वारा पारति परसत्ताव के माध्यम से 14 दिनों के नोटिस पर लोकसभा अध्यक्ष को हटा सकता है।
- लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की **धारा 7 और 8** के तहत लोकसभा सदस्य होने से अयोग्य घोषति होने पर लोकसभा **अध्यक्ष को हटाया** भी जा सकता है।
- अध्यक्ष अपना **त्याग-पत्र उपाध्यक्ष** को भी दे सकता है।


### शक्ति और कर्तव्यों के स्रोत:

- लोकसभा अध्यक्ष को **अपनी शक्तियाँ और कर्तव्य** तीन स्रोतों से प्राप्त होते हैं:

- भारत का संवधान,
  - लोकसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियम,
  - संसदीय परंपराएँ (अवशिष्ट शक्तियाँ जो नियमों में अलखिति या अनरिदषिट हैं)
- **लोकसभा अध्यक्ष की स्वतंत्रता और नष्पकषता सुनश्चिति करने के प्रावधान:**
- उन्हें **कार्यकाल की सुरक्षा** प्रदान की जाती है। उन्हें केवल लोकसभा द्वारा प्रभावी बहुमत से पारति प्रस्ताव द्वारा ही हटाया जा सकता है।
  - उनके **वेतन और भत्ते भारत की संचति नधिपर भारति** होते हैं इसलियि वे संसद के वार्षकि मतदान के अधीन नहीं होते हैं।
  - उनके **कार्य और आचरण** पर लोकसभा में कसिी ठोस प्रस्ताव के अलावा **चर्चा या आलोचना नहीं** की जा सकती।
  - सदन में **प्रक्रिया को वनियिमति करने**, कार्य संचालन करने या व्यवस्था बनाए रखने की उनकी शक्तियाँ **कसिी न्यायालय के अधिकार कषेत्र के अधीन नहीं हैं**।
  - वह पहले चरण में मतदान नहीं कर सकता। वह केवल बराबरी की स्थिति में ही **नरिणायक मत** का प्रयोग कर सकता है। इससे लोकसभा अध्यक्ष का पद नष्पकष हो जाता है।
  - **वरीयता क्रम** में उन्हें **भारत के मुख्य न्यायाधीश** के साथ **छटे स्थान** पर रखा गया है।

## प्रोटेम स्पीकर:

- जब पछिली लोकसभा का **अध्यक्ष नवनरिवाचति लोकसभा** की पहली बैठक से ठीक पहले अपना पद खाली कर देता है, तो राष्ट्रपति लोकसभा के एक सदस्य को **प्रोटेम स्पीकर** (Speaker Pro Tem) के रूप में नयुक्त करता है।
  - सामान्यतः इस पद पर **सबसे वरषिठ सदस्य** का चयन किया जाता है।
  - **प्रोटेम स्पीकर को राष्ट्रपति स्वयं शपथ दलिलाता है।**
- वह नवनरिवाचति **लोकसभा की पहली बैठक की अध्यक्षता** करता है और उसके पास अध्यक्ष की सभी शक्तियाँ होती हैं।
- इसका प्रमुख कार्य नए सदस्यों को शपथ दलिलाना और सदन को नए अध्यक्ष का चुनाव करने में सकषम बनाना है।
- जब सदन द्वारा **नए लोकसभा अध्यक्ष** का चुनाव कर लिया जाता है तब **प्रोटेम स्पीकर** का कार्यकाल समाप्त हो जाता है।



# लोकसभा अध्यक्ष



लोकसभा का **संवैधानिक/औपचारिक प्रमुख** जो इसके दिन-प्रतिदिन के कामकाज की अध्यक्षता करता है

लोकसभा के लिये जैसे **अध्यक्ष/उपाध्यक्ष** होता है वैसे ही राज्यसभा हेतु **सभापति/उपसभापति** होता है

## भारत में उत्पत्ति

- ➔ 1921 ( भारत सरकार अधिनियम 1919 ) प्रेसीडेंट तथा डिप्टी प्रेसीडेंट के रूप में

भारत सरकार अधिनियम, 1935 ने प्रेसीडेंट और डिप्टी प्रेसीडेंट के नामों को क्रमशः अध्यक्ष (Speaker) और उपाध्यक्ष (Deputy Speaker) में बदल दिया

## निर्वाचन ( अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष दोनों )

- ➔ अनुच्छेद 93, भाग V
  - ➔ एक साधारण बहुमत द्वारा
  - ➔ पुनः निर्वाचन हेतु पात्र

## निर्वाचन हेतु मानदंड

- ➔ लोकसभा का सदस्य होना चाहिये
- ➔ कोई विशेष योग्यता नहीं
- ➔ आम तौर पर, सत्ताधारी दल से संबंधित होता है

## कार्यकाल:

- ➔ 5 वर्ष ( अगली लोकसभा की पहली बैठक से ठीक पहले तक )

लोकसभा के भंग होने पर अध्यक्ष/स्पीकर अपना पद तुरंत खाली नहीं करता है

## शक्तियाँ

- ➔ लोकसभा में भारत के संविधान के प्रावधानों का अंतिम व्याख्याकार; उसके निर्णय प्रकृति में बाध्यकारी हैं
- ➔ संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है
- ➔ गणपूर्ति के अभाव में सदन को भंग/बैठक को स्थगित कर सकता है
- ➔ गतिरोध को दूर करने के लिये मतदान करने की शक्ति
- ➔ निर्णय करता है:
  - ➔ कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं
  - ➔ लोकसभा के सदस्यों की अयोग्यता ( 10वीं अनुसूची के तहत ) ( यह शक्ति 52वें संशोधन अधिनियम, 1985 के माध्यम से प्रदान की गई )

## पद से हटाना ( शर्तें )

- ➔ यदि वह लोकसभा का सदस्य नहीं रहता/रहती
- ➔ उपाध्यक्ष को लिखित त्याग-पत्र
- ➔ प्रभावी बहुमत से हटाया जाना

## लोकसभा अध्यक्ष की भूमिकाएँ और ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं?

- **सदन की कार्यवाही की अध्यक्षता करना:**
  - लोकसभा अध्यक्ष नचिले सदन के सत्रों की देखरेख करते हैं तथा सदस्यों के बीच अनुशासन और मर्यादा सुनिश्चित करते हैं।
  - लोकसभा अध्यक्ष संसदीय बैठकों के लिये एजेंडा तय करता है और प्रक्रियात्मक नियमों की व्याख्या करता है। वह **स्थगन**, **अवशिवास** और **नदि प्रस्ताव** जैसे प्रस्तावों को अनुमति देता है, जिससे व्यवस्थापति संचालन सुनिश्चित होता है।
  - लोकसभा अध्यक्ष सदन के भीतर (a) भारत के संविधान, (b) लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों तथा (c) संसदीय मसालों के प्रावधानों का अंतिम व्याख्याता होता है।
- **कोरम लागू करना और अनुशासनात्मक कार्रवाई:**
  - **कोरम या गणपूरति** के अभाव में लोकसभा अध्यक्ष आवश्यक उपस्थिति पूरी होने तक बैठक स्थगित कर देता है।
  - लोकसभा अध्यक्ष को संविधान की **10वीं अनुसूची** के तहत अनर्थात्तरति व्यवहार को दंडित करने और **दलबदल के आधार पर सदस्यों को अयोग्य ठहराने** का भी अधिकार है।
- **समितियों का गठन:**
  - सदन की समितियों का गठन लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है और वे अध्यक्ष के समग्र नरिदेशन में कार्य करती हैं।
  - सभी संसदीय समितियों के अध्यक्षों को लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाता है।
  - कार्य मंत्रणा समिति, सामान्य प्रयोजन समिति और नियम समिति जैसी समितियाँ सीधे उनकी अध्यक्षता में काम करती हैं।
- **सदन के वशिषाधिकार:**
  - लोकसभा अध्यक्ष सदन, उसकी समितियों और सदस्यों के अधिकारों और वशिषाधिकारों का संरक्षक होता है।
  - किसी वशिषाधिकार के प्रश्न को परीक्षण, जाँच और रपिर्ट के लिये वशिषाधिकार समिति को भेजना पूरणतः अध्यक्ष पर नरिभर करता है।
  - वह सदन के नेता के अनुरोध पर सदन की 'गुप्त' बैठक की अनुमति दे सकता है। जब सदन गुप्त रूप से बैठता है, तो लोकसभा अध्यक्ष की अनुमति के बिना कोई भी अजनबी कक्ष, लॉबी या दीर्घाओं में मौजूद नहीं हो सकता।
- **प्रशासनिक प्राधिकारी:**
  - लोकसभा सचवालय के प्रमुख के रूप में, अध्यक्ष संसद भवन के भीतर प्रशासनिक मामलों और सुरक्षा व्यवस्था का परबंधन करते हैं। वे संसदीय बुनयादी ढाँचे में परविरतन और परविरद्धन को नरथितरति करते हैं।
- **अंतर-संसदीय संबंध:**
  - लोकसभा अध्यक्ष भारतीय संसदीय समूह के पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं, जो अंतर-संसदीय संबंधों को सुगम बनाता है। वह वदिश में परतनिधिमिंडलों का नेतृत्व करते हैं और भारत में वधिथी नकियाओं के पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन की अध्यक्षता करते हैं।

## लोकसभा अध्यक्ष/उपाध्यक्ष से संबंधित संविधानिक प्रावधान

- **अनुच्छेद 93/178:** लोकसभा/वधिानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नयुक्तता।
- **अनुच्छेद 94/179:** लोकसभा/वधिानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद छोड़ना/त्याग-पत्र देना/पद से हटाया जाना।
- **अनुच्छेद 95/180:** उपसभापतिया अन्य व्यक्तियों की लोकसभा/वधिानसभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य करने या पद के कर्तव्यों का पालन करने की शक्ति।
- **अनुच्छेद 96/181:** लोकसभा अध्यक्ष या उपसभापतियों को पद से हटाने का प्रस्ताव वचिराधीन होने पर उनका अध्यक्षता न करना।
- **अनुच्छेद 97/186:** लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते।

## अध्यक्ष/उपाध्यक्ष से संबंधित न्यायिक प्रावधान

- **कहितो होलोहन बनाम जाचलिहू मामले, 1993 में, सर्वोच्च न्यायालय** ने घोषित किया कि पीठासीन अधिकारी का नरिणय अंतिम नहीं है और किसी भी अदालत में उस पर सवाल उठाया जा सकता है। यह दुर्भावना, दुराग्रह आदि के आधार पर **न्यायिक समीक्षा** के अधीन है।
- सर्वोच्च न्यायालय ने **केशम मेघचंद्र सहि बनाम माननीय अध्यक्ष मणपिर वधिानसभा एवं अन्य मामले, 2020** में फैसला दिया कि वधिानसभाओं और संसद के अध्यक्षों को असाधारण परस्थितियों को छोड़कर तीन महीने की अवधि के भीतर अयोग्यता याचिकाओं पर फैसला करना चाहिये।
- **2016** में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि **किसी अध्यक्ष को हटाने का नोटिस लंबित है तो वह दल-बदल वरिधी कानून (संविधान की 10वीं अनुसूची)** के तहत अयोग्यता याचिकाओं पर नरिणय लेने से अक्षम हो जाएगा।
  - दूसरे शब्दों में, इस नरिणय ने पदच्युति नोटिस का सामना कर रहे लोकसभा अध्यक्ष को दल-बदल वरिधी कानून के तहत वधिानसभा सदस्यों के वरिद्ध अयोग्यता याचिकाओं पर नरिणय लेने से रोक दिया।
- इसके अलावा, **2023** में **सर्वोच्च न्यायालय** ने महाराष्ट्र वधिानसभा अध्यक्ष को वधिायकों की अयोग्यता की याचिका पर नरिणय लेने के लिये समय-सीमा नरिधारित करने का नरिदेश दिया।



